भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4938
01 अप्रैल, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: रबी और खरीफ फसलों के लिए राजसहायता प्रावधान

4938. श्री उम्मेदा राम बेनीवालः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर में रबी और खरीफ की फसलों के लिए आदान राजसहायता प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या कितनी है और वर्षवार और जिलावार कितनी-कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ख) क्या गत पांच वर्षों के दौरान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किन्हीं कारणों से किसानों को खरीफ और रबी की फसल के लिए स्वीकृत आदान राजसहायता राशि का संवितरण नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे किसानों की वर्षवार संख्या कितनी है, और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का किसानों को उक्त राशि उपलब्ध कराने का विचार है, और यदि हां, तो उक्त राशि कब तक संवितरित किए जाने की संभावना है;

(ड.) क्या सरकार ने उक्त योजना की पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कोई नई व्यवस्था की है; और

(च) क्या उक्त योजना में तकनीकी या प्रशासनिक समस्या आई थी जिसके कारण किसानों को इसका लाभ नहीं मिल सका?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): कृषि एक राज्य का विषय है। तथापि, भारत सरकार, राजस्थान सहित देश भर में किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसे सभी 28 राज्यों राजस्थान सहित और 2 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) अर्थात जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में कार्यान्वित किया गया है। इसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना है। एनएफएसएनएम के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन, नई जारी किस्मों/हाईब्रिड के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, फसल मौसम के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों के क्षमता निर्माण आदि पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। खरीफ खाद्यान्न फसलों में चावल, बाजरा, रागी, स्माल मिलेट, अरहर, रबी खाद्यान्न फसलों में गेहूं, जौ, चना, मसूर और दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में मक्का, ज्वार, उड़द और मूंग शामिल हैं। इसके अलावा, भारत सरकार प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत राज्य विशिष्ट जरूरतों के लिए राज्यों को लचीलापन भी प्रदान करती है। पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान राजस्थान राज्य को एनएफएसएनएम के तहत आवंटन और जारी फंड (धनराशि) का विवरण निम्नानुसार है:

(रूपए करोड़ में)

2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
आवंटन	**जारी**	**आवंटन**	**जारी**	**आवंटन**	**जारी**	**आवंटन**	**जारी**	**आवंटन**	**जारी**
245.57	138.99	230.96	140.25	199.60	89.50	205.18	97.26	269.88	96.93

सरकार राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस) को भी कार्यान्वित कर रही है, जिसका उद्देश्य घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना और राजस्थान सहित पूरे देश में खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) हासिल करना है। एनएमईओ-तिलहन का उद्देश्य रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल जैसी प्रमुख प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है, साथ ही कपास के बीज, चावल की भूसी, कॉर्न ऑयल और वृक्ष जनित तेलों जैसे द्वितीयक स्रोतों में संग्रह और निष्कर्षण दक्षता को बढ़ाना है।

बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन में सम्मिलित) एक मांग आधारित योजना है और देश में छोटे एवं सीमांत किसानों के कल्याण के लिए संबंधित राज्य/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के तहत, बीज वितरण और बीज से संबंधित अन्य हस्तक्षेपों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

कृषि मैपर और बीज प्रमाणीकरण, ट्रेसेबिलिटी एवं समग्र सूची (साथी) पोर्टल जैसी डिजिटल पहलों को योजना की पहुंच और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

******